ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एम.ए.सी. क्रमांक 1058/2014

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

––––अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती पुष्पलता गंजीर, पत्नी स्वर्गीय श्री रविकांत गंजीर, उम्र लगभग 30 वर्ष,
2. कु. दिशा गंजीर (नाबालिग), पुत्री स्वर्गीय श्री रविकांत गंजीर, उम्र लगभग 6 वर्ष, द्वारा अभिभावक मां अर्थात् श्रीमती पुष्पलता गंजीर,
3. कु. राशिता गंजीर (नाबालिग), पुत्री स्वर्गीय श्री रविकांत गंजीर, उम्र लगभग 2 वर्ष, द्वारा अभिभावक मां अर्थात् श्रीमती पुष्पलता गंजीर,
4. खोरबाहरा राम गंजीर, पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गंजीर,

   सभी निवासी–मोतीपुर, वार्ड नंबर 5, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
5. गोविंद वैष्णव, पुत्र वेंकट दास वैष्णव, उम्र लगभग 30 वर्ष,

   निवासी ग्राम मोहद, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

––––चालक

6. कौशलेन्द्र कुर्रे, पिता स्वर्गीय श्री लखन लाल कुर्रे,

   निवासी अनुपम नगर, वार्ड क्रमांक 19, तहसील एवं जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

––––मालिक

7. शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

   शाखा कार्यालय कामठी लाइन, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

––––उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>साथ में</u>

<u>एम.ए.सी. क्रमांक 1059/2014</u>

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

----अपीलकर्ता

<u>बनाम</u>

1. सुदर्शन सिंह सिदार, पुत्र धेनु सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष,
2. श्रीमती जमुना बाई सिदार, पत्नी सुदर्शन सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष,
   दोनों निवासी लालबाग, पुलिस लाइन राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
   स्थाई निवासी ग्राम नवाडीह, थाना व तहसील कसडोल, तत्कालीन जिला रायपुर, वर्तमान जिला बलौदा बाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़
3. गोविंद वैष्णव, पुत्र वेंकट दास वैष्णव, उम्र लगभग 30 वर्ष,
   निवासी ग्राम मोहद, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

----चालक

4. कौशलेन्द्र कुर्रे, पिता स्वर्गीय श्री लखन लाल कुर्रे,
   निवासी अनुपम नगर, वार्ड क्रमांक 19, तहसील एवं जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

----मालिक

5. शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
   राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

----उत्तरदातागण

<u>एम.ए.सी. क्रमांक 1058/2014 में</u>

अपीलकर्ता की ओर से श्री गगन तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता क्रमांक 1 से 4 की ओर से श्री ए. एल. सिंगरौल, अधिवक्ता।

<u>एम.ए.सी. क्रमांक 1059/2014 में</u>

अपीलकर्ता की ओर से श्री गगन तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता क्रमांक 5 की ओर से श्री बी. एन. नन्दे, अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>माननीय श्री पी.आर.रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश</u>
<u>माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश</u>

<u>बोर्ड पर आदेश</u>

<u>प्रति पार्थ प्रतीम साहू, जस्टिस की ओर से</u>

<u>20.10.2020</u>

1. ये दोनो अपीलें एक ही दुर्घटना से उद्भूत हुई है, इसलिए इन दोनो अपीलों का निराकरण इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. एमएसी क्रमांक 1058/2014 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजनांदगांव द्वारा दावा प्रकरण संख्या 167/2011 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 18.07.2014 को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत विद्वान दावा अधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 166 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में 25,04,540/– रुपए का आदेश पारित गया है और घातक दुर्घटना मामले में क्षतिपूर्ति की राशि को भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता–राज्य पर दायित्व निर्धारित किया गया है। एमएसी क्रमांक 1059/2014 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजनांदगांव द्वारा दावा प्रकरण संख्या 07/2012 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 18.07.2014 को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत विद्वान दावा अधिकरण ने 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में 18,91,864/– रुपए का आदेश पारित गया है और घातक दुर्घटना मामले में क्षतिपूर्ति की राशि को भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता–राज्य पर दायित्व निर्धारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया है।

3. इस न्यायालय की सुविधा के लिए, एमएसी क्रमांक 1058/2014 को मुख्य के रूप में लिया जाता है।

4. इन अपीलों के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य ये हैं कि मृतक रविकांत गंजीर, जिला पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। दिनांक 02.09.2011 को, वह वीआईपी ड्यूटी पर था और अन्य कांस्टेबल नरेश सिदार और बसंत साहू ए.एस.आई. के साथ टाटा सूमो रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 08/5095 (जिसे आगे "दुर्घटनाकारित वाहन" कहा जाएगा) पर सवार होकर रिजर्व लाइन राजनांदगांव से खैरागढ़ जा रहे थे। दुर्घटनाकारित वाहन को अनावेदक क्रमांक 1/उत्तरदाता क्रमांक 5 चला रहा था। रास्ते में, जब वे बढ़ईटोला–साल्हेभर्री मोड़ के बीच पहुंचे तो अनावेदक क्रमांक 1 की लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाकारित वाहन सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गया और दुर्घटना हो गई। उक्त दुर्घटना में रविकांत गंजीर और नरेश सिदार को गंभीर चोटें आई, जिससे नरेश सिदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा रविकांत गंजीर को जिला अस्पताल राजनांदगांव ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना संबंधित थाने में दी गई, जिसके आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 238/2011 पंजीबद्ध किया गया।

5. दावाकर्ता/उत्तरदाता 1 से 4 ने एमएसी क्रमांक 1058/2014 में अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर स्वर्गीय रविकांत गंजीर की असामयिक मोटर दुर्घटना मृत्यु के विरुद्ध 62,00,000/– रुपए का क्षतिपूर्ति मांगा था, जिसमें तर्क दी गई थी कि दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी, वह जिला पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था और उसे 15,000/– रुपए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिमाह वेतन मिलता था।

6. दावाकर्ता/उत्तरदाता क्रमांक 1 और 2 ने एमएसी क्रमांक 1059/2014 में अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर 65,84,000 रुपए का क्षतिपूर्ति मांगा था, जिसमें तर्क दी गई थी कि मृतक नरेश सिदार जिला पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था और उसे प्रतिमाह 14,000 रुपए वेतन मिलता था। दुर्घटना की तिथि अर्थात दिनांक 02.09.2011 को वे दोनों वीआईपी ड्यूटी पर थे तथा सहायक उपनिरीक्षक बसंत साहू के साथ दुर्घटनाकारित वाहन पर रक्षित केन्द्र, राजनांदगांव से खैरागढ़ जा रहे थे।

7. अनावेदक क्रमांक 1 और 2, दुर्घटनाकारित वाहन के चालक और मालिक ने दावा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें की गई अभिवचनों से इंकार करते हुए, आगे अभिवचन की गई कि दुर्घटनाकारित वाहन को पुलिस ने वीआईपी ड्यूटी के लिए अधिग्रहित किया था, उसे कोई किराया नहीं मिला है और अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है, इसलिए वे किसी भी क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कंपनी ने दावा आवेदन में की गई अभिवचनों को इंकार करते हुए दावा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया। आगे यह अभिवचन किया कि दुर्घटना की तिथि पर अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वाहन का कोई वैध परमिट और फिटनेस नहीं था। वाहन को बीमा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था।

9. अनावेदक क्रमांक 4/अपीलार्थी ने दावा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अभिवचन किया कि दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से की गई लापरवाही का

परिणाम था। दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटनाकारित वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत था, अतः क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का दायित्व अनावेदक बीमा कंपनी पर है।

10. दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि स्वर्गीय रविकांत गंजीर और नरेश सिदार की मृत्यु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दुर्घटनाकारित वाहन को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण हुई मोटर दुर्घटना में हुई थी। पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, दावा प्रकरण क्रमांक 167/2011 (रविकांत गंजीर की मृत्यु के विरुद्ध) में 25,04,540/–रुपए तथा दावा प्रकरण क्रमांक 07/2012 (नरेश सिदार की मृत्यु के विरुद्ध) में 18,91,864/–रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया तथा अपीलार्थी–राज्य पर दायित्व निर्धारित किया गया कि दुर्घटना के समय, दुर्घटनाकारित वाहन अनावेदक क्रमांक 4 के नियंत्रण में था, उक्त वाहन को पुलिस विभाग द्वारा अधिग्रहित किया गया था। अपीलकर्ता/अनावेदक क्रमांक 4 को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दीपा देवी (2008) 1 एससीसी 414</u>** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. अपीलकर्ता–राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री गगन तिवारी ने कहा कि दावा न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि अपीलकर्ता, न तो वाहन का मालिक है और न ही दुर्घटनाकारित वाहन का चालक राज्य का कर्मचारी है, अपीलकर्ता पर दायित्व तय करने में गलती की है। दुर्घटनाकारित वाहन का स्वामित्व

अनावेदक क्रमांक 2 के पास था, उसे अनावेदक क्रमांक 1 चला रहा था तथा उसका बीमा अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि अपीलकर्ता ने अनावेदक क्रमांक 2 से दुर्घटनाकारित वाहन को किराए पर लिया है और दुर्घटनाकारित वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, क्षतिपूर्ति के लिए दावा अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि को पूरा करने की जिम्मेदारी मालिक या बीमा कंपनी की होगी, न कि वर्तमान अपीलकर्ता पर।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. उत्तरदाता–दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंगरौल ने कथन किया कि, संबंधित पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर दावा न्यायाधिकरण सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि क्षतिपूर्ति की राशि को पूरा करने का दायित्व अपीलकर्ता पर है। दुर्घटनाकारित वाहन अपीलकर्ता के कब्जे में था और इसका इस्तेमाल वीआईपी ड्यूटी के लिए किया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि दावा न्यायाधिकरण ने **दीपा देवी (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सही ढंग से संज्ञान लिया है।

13. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. नंदे ने प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि पॉलिसी शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि दुर्घटनाकारित वाहन पुलिस विभाग द्वारा किराए पर लिया गया था, जबकि दुर्घटना करने वाला वाहन निजी वाहन के रूप में बीमाकृत था और बीमा पॉलिसी निजी कार पॉलिसी–बी (पैकेज) के तहत

जारी की गई थी। उन्होंने दलील दी कि अभिलेख में प्रदर्श डी–4 के रूप में रखी गई बीमा पॉलिसी की प्रति में उपयोग की सीमाओं के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पॉलिसी वाहन का किराये या लाभ के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग को अन्य शर्तों के साथ कवर करती है। उन्होंने आगे दस्तावेज प्रदर्श डी–1 सी का संदर्भ दिया जो रक्षित निरीक्षक कार्यालय, जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 04.12.2013 को जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दावा प्रकरणों में शामिल वाहन को विभाग द्वारा किराए पर लिया जा रहा था। प्रदर्श डी–1 सी के तहत उपलब्ध विशिष्ट जानकारी को देखते हुये कि वाहन का उपयोग किराए और लाभ के लिए किया जा रहा था, पॉलिसी शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बीमा कंपनी ने इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है क्योंकि दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता–राज्य पर दायित्व तय कर दिया है, जो दुर्घटनाकारित वाहन को किराये पर उपयोग कर रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उत्तरदाता/दुर्घटनाकारित वाहन के मालिक और चालक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

15. इन अपीलों में मुख्य बिंदु यह है कि क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, अपीलकर्ता–राज्य, मालिक और चालक या बीमा कंपनी?

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का मुल्यांकन करने के लिए, दस्तावेज़ का अवलोकन करने से पता चलता है कि दुर्घटनाकारित वाहन एक निजी वाहन था, बीमा पॉलिसी निजी कार पैकेज पॉलिसी के रूप में जारी की गई थी, इसे अपीलकर्ता–राज्य द्वारा किराए पर लिया जा रहा था। निरीक्षक द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी पुलिस, खैरागढ़ को दी गई सूचना के अनुसार, अन्य वाहनों के साथ–साथ, जो उनके कार्यालयीन उपयोग के लिए किराये पर लिए गए थे, दुर्घटनाकारित वाहन को भी किराये पर लिया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय, दुर्घटनाकारित वाहन सरकारी ड्यूटी पर चल रहा था। मृतक व्यक्ति अपने सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में दुर्घटनाकारित वाहन पर यात्रा कर रहे थे। अनावेदक साक्षी क्रमांक–2 मुकेश ठाकुर, एसडीओपी ने अपने साक्ष्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटनाकारित वाहन को पुलिस विभाग द्वारा किराए पर लेकर उपयोग किया जा रहा था।

17. अभिलेख पर उपलब्ध विशिष्ट साक्ष्य और सामग्री को देखते हुए दावा न्यायाधिकरण द्वारा विशेष रूप से दिया गया यह निष्कर्ष, सही निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है कि पॉलिसी शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि दुर्घटनाकारित वाहन का बीमा निजी कार के रूप में किया गया था लेकिन इसका उपयोग किराए और लाभ के लिए किया जा रहा था, लेकिन इसे चुनौती नहीं दी गयी है।

18. जहां तक क्षतिपूर्ति की रकम का भुगतान करने की जिम्मेदारी का संबंध है। यह देखा जाना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलकर्ता पर क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का दायित्व लगाया जा सकता है या नहीं। दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मानते हुए **दीपा देवी (सुप्रा)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संज्ञान लिया है। उक्त मामले में, संबंधित वाहन को विधानसभा चुनाव के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अधिगृहीत किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में माना है कि वाहन का स्वामी विधानसभा चुनाव के उद्देश्य से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपायुक्त द्वारा वाहन के अधिगृहीत करने के आदेश या निर्देश का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता। सुविधा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है।

> "10. संसद ने 1939 अधिनियम या 1988 अधिनियम के तहत इस प्रकृति की स्थिति पर विचार नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरदाता क्रमांक 3 और 4 वाहन के पंजीकृत स्वामी बने रहे, इसके बावजूद तथ्य यह है कि इसे जिला मजिस्ट्रेट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहित किया था। किसी वाहन को किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा, किसी विधि में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिगृहीत किया जाता है। वाहन का मालिक उपायुक्त द्वारा वाहन के अधिगृहीत करने के आदेश का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता। जब तक वाहन अधिगृहीत रहता है, तब तक मालिक उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। चालक अभी भी वाहन के मालिक का कर्मचारी हो सकता है, लेकिन उसे राज्य के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन चलाना होता है। विधिक स्वामित्व को छोड़कर, सभी आशय और अभिप्राय के लिए, वाहन का पंजीकृत स्वामी उस पर संपूर्ण नियंत्रण खो देता है। उसे यह कहने का अधिकार नहीं है कि वाहन को किसी निश्चित समय पर चलाया जाना चाहिए या नहीं। वह चालक से यह नहीं कह सकता कि वह खराब सड़क पर वाहन न चलाए। वह या चालक यह नहीं कह सकते कि वाहन को रात में नहीं चलाया जाएगा। अधिग्रहण का उद्देश्य वाहन का उपयोग करना है। जिस अवधि तक वाहन राज्य और/या उसके अधिकारियों के नियंत्रण में रहता है, मालिक केवल अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान का हकदार होता है, लेकिन वह उस पर कोई नियंत्रण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> नहीं रख सकता है। इस तरह की स्थिति में, इस न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि संसद ने 1988 के अधिनियम को लागू करते समय ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की थी। यदि किसी स्थिति में, 1988 के अधिनियम में निहित वैधानिक परिभाषाओं को अक्षरशः लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसे सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए।

19. इस मामले में तथ्य, **दीपा देवी (सुप्रा)** के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किए गए तथ्यों से थोड़े अलग हैं। उक्त मामले में तथ्य यह है कि चुनाव के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा वाहन की मांग की गई है, जिसके लिए वाहन का मालिक मना नहीं कर सकता या आपत्ति नहीं कर सकता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उसे अपना वाहन सौंपना होगा। जबकि वर्तमान मामले में यह किसी विशेष कार्य के लिए वाहन की अधिग्रहण का मामला नहीं है, बल्कि यह आधिकारिक उपयोग के लिए किसी विशेष एजेंसी से वाहन किराए पर लेने का मामला है। यहां, सरकारी विभागों में से किसी एक द्वारा की गई मांग के आधार पर, परिवहन सेवा के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों या एजेंसियों द्वारा इकरारित दर पर उपयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाता है। प्रस्तुत मामले में, रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों के अनुसार, पुलिस विभाग ने एक ट्रैवलिंग एजेंसी के माध्यम से वाहन किराए पर लिया था, जिसे विभाग द्वारा इकरारित दर पर भुगतान किया जा रहा था और ट्रैवलिंग एजेंसी, उसके बाद, प्राप्त राशि को वाहन के मालिक को उनकी इकरारित अवधि के अनुसार हस्तांतरित करेगी।

20. इस मामले के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलुओं को देखते हुए, हमारा विचार है कि **दीपा देवी (सुप्रा)** का मामला इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। यद्यपि दुर्घटना के समय वाहन विभाग के नियंत्रण में था, लेकिन दुर्घटनाकारित वाहन का मालिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनावेदक क्रमांक 2 है और यह उसका कर्तव्य है कि वह वाहन के उपयोग के संबंध में सक्षम विभाग से उचित अनुमति प्राप्त करने और उसके लिए पर्याप्त नीति बनाने के बाद अपने वाहन को किराए और लाभ के लिए दे। यदि वाहन का उपयोग किराये और पारिश्रमिक के लिए किया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि वाहन का उपयोग वाणिज्यिक प्रकृति का है। निःसंदेह, वाहन का बीमा निजी कार के रूप में कराया गया था, उसका कोई परमिट नहीं था, किन्तु साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग बिना उचित पंजीकरण, बीमा और परमिट के, किराए और लाभ के लिए किया जा रहा था।

21. मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है, लेकिन फिर क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का पूरा दायित्व अपीलकर्ता पर भी नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि अपीलकर्ता ने वाहन किराए पर लिया था और यह किसी भी क़ानून के तहत किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनिवार्य अधिग्रहण नहीं था। मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में,क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का दायित्व अनावेदक क्रमांक 2/दुर्घटनाकारित वाहन के स्वामी पर है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से वाहन को पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्शाए गए वाहन के 'उपयोग' और बीमा पॉलिसी में उल्लिखित उपयोग के विपरीत किराये और पारिश्रमिक पर दिया था। साथ ही, दावेदारों के हितों की भी रक्षा की जानी आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. यह अपीलकर्ता का स्वयं का स्वीकृत मामला है कि अपीलकर्ता एक सरकारी विभाग है और उसने अपने उपयोग के लिए प्रदर्श डी–2 सी के अनुसार नौ वाहन किराये पर लिए हैं। प्रदर्श डी 3 राज्य सरकार द्वारा वाहन किराये पर लेने के लिए जारी दिशा–निर्देश/परिपत्र है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किराये पर लिया

जाने वाला वाहन परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। उक्त परिपत्र प्रदर्श डी 3 का खंड 1 संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जाता है।

> "1- वाहन टैक्सी के रुप में परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना आवश्यक होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा। वाहन का परमिट फिटनेस रोड टैक्स व बीमा अद्यतन होना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपर्युक्त खंड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें विशिष्ट शर्तें बताई गई हैं कि कौन से वाहन ट्रैवलिंग एजेंसियों से किराए पर लिए जा सकते हैं। अपीलकर्ता/विभाग ने वाहन को किराये पर लेते समय उसके दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन नहीं किया और अपने कर्मचारियों को अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वाहन में भेज दिया। पुलिस विभाग के कर्मचारी, उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों पर आपत्ति नहीं कर सकते।

24. इस मामले में, हम मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने के लिए एक आवेदन पर विचार कर रहे हैं, न कि किसी अन्य सिविल विधि के अंतर्गत किसी आवेदन पर विचार कर रहे हैं। 1988 के अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी वाहन के चालक और स्वामी की है। यदि स्वामी ने किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदी है और मालिक के जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है, तो बीमा

कंपनी बीमा पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत वाहन के उपयोग के अधीन, क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम 1988 के अंतर्गत, मामले के तथ्यों और बीमा पॉलिसी की प्रकृति के अधीन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

25. इस मामले में पंजीकृत स्वामी ट्रांसपोर्टर के रूप में व्यवसाय कर रहा था और पैसा कमा रहा था। वाहन वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं था, बल्कि निजी वाहन था, इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करना वाहन स्वामी का दायित्व है। वाहन स्वामी ने बीमा शर्तों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाया था। अपीलकर्ता ने वाहन को किराये पर लेने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत जाकर किराये पर लिया है और मृतक पुलिसकर्मियों ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन की विवशता में दुर्घटनाकारित वाहन में यात्रा की है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, दावाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता-राज्य का यह दायित्व है कि वह पहले क्षतिपूर्ति का भुगतान करे और उसके बाद उसे दुर्घटनाकारित वाहन के मालिक से वसूल करे।

26. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, दावा अधिकरण द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में दिया गया निष्कर्ष, जिसमें अपीलकर्ता/अनावेदक क्रमांक 4 को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, को अपास्त किया जाता है। क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का दायित्व उत्तरदाता क्रमांक 6/अनावेदक क्रमांक 2 (दुर्घटनाकारित वाहन के पंजीकृत स्वामी) पर होगा। हम अपीलकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह पहले क्षतिपूर्ति की पूरी राशि का भुगतान करे और उसके बाद विधि अनुसार दुर्घटनाकारित वाहन के स्वामी से ऐसे जमा की गई राशि वसूल करे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित अधिनिर्णय को उपरोक्तानुसार दर्शाई गई सीमा तक संशोधित किया जाता है।

सही/–	**सही/–**
(पी.आर.रामचंद्र मेनन)	**(पार्थ प्रतीम साहू)**
चीफ जस्टिस	**जज**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur